क्रम संख्या–15

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई0

माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 35 / XXXVI(3) / 2014 / 01(1) / 2014

देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–02 वर्ष 2014)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम,1945(अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1945) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), की धारा 3 की उपधारा (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी सड़क की लम्बाई अथवा सम्पूर्ण सड़क को "अनुसूचित सड़क" घोषित कर सकेगी और सड़क भूमि के किनारे से जैसा विहित किया जाये, पांच मीटर की किसी क्षैतिज दूरी तक की ऐसी अनुसूचित सड़क "नियंत्रित क्षेत्र" होगी।"

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।